

## भाग - 3

### प्रार्थी का विवरण

(स्वीकृति अधिकारी को भेजी जाने वाली प्रति में यह भाग दो प्रतियों में भरा जायेगा। कार्यालयाध्यक्ष अपने अभिलेख हेतु इस फार्म की एक प्रति ही भरवायेंगे। प्रदेश के बाहर पेंशन प्राप्त करने की स्थिति में अतिरिक्त दोनों फार्मों में भाग-3 की एक ही प्रतिलिपि रखी जायेगी।)

1. सरकारी सेवक की पत्नी/पति के साथ पासपोर्ट आकार का सत्यापित संयुक्त

फोटो (मृत्यु की दशा में प्रार्थी का पासपोर्ट आकार में अपना फोटो)

2. सरकारी सेवक का नाम, पदनाम तथा कार्यालय का नाम

3. सरकारी सेवक की मृत्यु की दशा में पारिवारिक पेंशन/मृत्यु ग्रेच्युटी हेतु प्रार्थी का नाम तथा सरकारी सेवक के सम्बन्ध .....

4. नमूने के हस्ताक्षर :-

(क) सरकारी सेवक के (उसके जीवित रहने पर करवाये

जायेंगे) 1.....

2.....

3.....

(ख) सरकारी सेवक की पत्नी / पति या अन्य प्रार्थी के

(उसके जीवित रहने अथवा मृत्यु होने दोनों दशाओं में करवाये

जायेंगे) 1.....

2.....

3.....

5. यदि सरकारी सेवक या उसकी पत्नी / पति अथवा अन्य प्रार्थी

अंग्रजी, हिन्दी अथवा उर्दू में हस्ताक्षर करने में असमर्थ है तो दायें

अथवा बायें हाथ के अंगूठे एवं उंगलियों के निशान :-

(क) सरकारी सेवक के .....

6. वैयक्तिक पहचान :-

(क) सरकारी सेवक / पारिवारिक पेंशनर की ऊंचाई .....

(ख) सरकारी सेवक / पारिवारिक पेंशनर के पहचान चिन्ह .....

विभागाध्यक्ष / कार्यालय के हस्ताक्षर, नाम तथा पदनाम (सील सहित) .....

फोटोग्राफ